छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–19 / रेरा / 2018 / 574 रायपुर, दिनाँक 04 / 10 / 2018

/ / परिपत्र / /

विषय :– अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत् वेबपेज सृजित करने के संबंध में।

–––––00–––––

छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रमोटर्स द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों के तहत् प्राधिकरण की वेबसाईट पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए वेबपेज सृजित करने संबंधी प्रावधान हैं। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इन प्रावधानों के बावजूद अधिकांश प्रमोटर्स द्वारा इस संबंध में अब तक समुचित कार्यवाही संपादित नहीं की गई है।

अतः अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रमोटर्स को आदेशित किया जाता है कि दिनाँक 30 सितम्बर, 2018 तक छत्तीसगढ़ रेरा में रजिस्टर्ड समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु अधिनियम की धारा 11 (1) की मंशा अनुरूप प्राधिकरण की वेबसाईट पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु दिनाँक 31 अक्टूबर, 2018 तक अनिवार्य रूप से अपना वेबपेज सृजित करना सुनिश्चित करें। इसी तरह दिनाँक 30 सितम्बर, 2018 के बाद रजिस्टर्ड प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु संबंधित प्रमोटर्स को रजिस्ट्रेशन तिथि से एक माह के भीतर उपरोक्तानुसार अपना वेबपेज सृजित करना अनिवार्य होगा।

यदि प्रमोटर्स द्वारा उपरोक्त वर्णित समय–सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो वे रूपये 5000/– मात्र के विलंब शुल्क के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 63 के तहत् शास्ति हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

04/10/18

(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.